



कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।
वन भवन, हजारीबाग,

Ph. No. 06546-223962, Email- rccf-hazaribagh@gov.in

सेवा में,

पत्रांक : 377

दिनांक : 28.02.2025

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

—सह—

कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

विषय :- चतरा जिला अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 64.0849 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग— भवदीय ज्ञापांक 945 दिनांक 21.10.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सादर सूचित करना है कि विषयक परियोजना चतरा जिला अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ 99 चतरा बाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 64.0849 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय, रांची के पत्रांक FP/JH/Road/146786/2021/556 दिनांक 06.09.2024 द्वारा 09 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। इन पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा के पत्रांक 125 दिनांक 20.02.2025 तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के पत्रांक 317 दिनांक 15.02.2025 एवं 2470 दिनांक 21.12.2024 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को समर्पित किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार बिन्दुवार अनुपालन की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र०सं	पृच्छा	अनुपालन की स्थिति
I	The total area proposed for diversion mentioned in online part-I and part-II is 64.0849ha instead of 60.0849 ha which is actually forwarded for consideration by state authorities. The proposed area has been revised by concern DFO & cf AS 7.49 ha of forest land has been proposed for 'Utility' purpose, out of which 4 ha is proposed to be utilized for development of roadside amenities like Cafeteria, Hospital, Rest Room etc. These are non-site-specific activities and can be developed on non-forest land as well. Hence concerned DFO & CF have not recommended the corresponding area. These non-site specific amenities must be shifted to non-forest area and must be highlighted to make the desired shift visible to processing authorities.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विषयगत पथ निर्माण हेतु डी०पी०आर० को भारत सरकार के परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित करा लिया गया है। तदनुसार 04 हे० वनभूमि जहाँ गैर स्थल विशिष्ट गतिविधियाँ प्रस्तावित की गई है, को स्वीकृति के लिए विचारित नहीं किया जा सकता है। प्रयोक्ता अभिकरण समय रहते डी०पी०आर० को संशोधित करने एवं प्रस्तावित गैर स्थल विशिष्ट गतिविधियाँ को गैर वनभूमि पर स्थानान्तरित करने का प्रयास करेगी।
II	Present alignment, at place, shows that road is deliberately diverted to forest area for logistic ease as the bypass road the town is 90% proposed in forest only which can easily be avoided.	पृच्छा सं० II एवं III के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि के न्यूनतम उपयोग के लिए दो वैकल्पिक संरेखणों को दर्शाया गया है जिसमें प्रस्तावित संरेखण 1 एवं 2 घाटी वाले हिस्से से होकर गुजरता है इसलिए तकनीकी रूप से संरेखण 1 एवं 2 के साथ बाईपास का निर्माण करना संभव नहीं है। इसके आलावा
III	The alternative routes of the road are not judiciously explored. The DSS analysis shows that the proposed alignment is fragmenting several forest patches involved leaving few	

सं	पृच्छा	अनुपालन की स्थिति
	fragmental part discrete, isolated and impractical to manage like forest in the vicinity of a sprawling urban area. Therefore the alignment must be shifted to save fragmentation and loss of forest thereafter.	कुछ अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है जहाँ संरेखण 1 एवं 2 गुजरता है।
IV	Comments from State Forest Department, Nodal Office (FC) and concerned DFO regarding actual tree felling for the project have not been submitted. Details in this regard may be uploaded.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल द्वारा विषयगत परियोजना में प्रभावित वृक्षों का विस्तृत प्रतिवेदन Form-A Part-II की Para-4(ii) में अंकित किया गया है। सत्यापित वृक्षों की गणना सूची Part-II के Additional information details में अपलोड कर दिया गया है।
V	Cost Benefit analysis is not correct. It may be rectified.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संशोधित Cost Benefit analysis Part-I की Para G(i)(a) में अपलोड कर दिया गया है।
VI	Undertaking/ Comments of User Agency regarding the implementation of Wildlife Management Plan, Soil Conservation Measures.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Wildlife Management Plan, Soil Conservation Measures Form-A Part-I के Additional information details में अपलोड कर दिया गया है। साथ ही Undertaking की प्रति अनुलग्नक-02 के रूप में संलग्न है।
VII	The details (PF & JJ LAND) of kml and Geo-referenced pdf map are mismatched. Therefore, it needs to be corrected.	उक्त पृच्छा का अनुपालन कर लिया गया है।
VIII	CA needs to be proposed on equivalent Non Forest Land instead of Degraded Forest Land. Accordingly, kml file of revised CA area and all related documents needs to be uploaded on portal.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 17.12.2024 द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दुगुने वनभूमि दिये जाने पर विचार किया जा सकता है।
IX	Encroachment, both agricultural & residential, has been observed at place in the proposed forest.	उक्त पृच्छा के अनुपालन में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल ने प्रतिवेदित किया है कि इस प्रमंडल अंतर्गत अपयोजित होने वाले वनभूमि को क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। तदोपरान्त अतिक्रमण के रूप में दिखाई देने वाले कुछ भाग वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत दिये गये वन पट्टे हैं। इसके अतिरिक्त वनभूमि पर किये गये शेष अतिक्रमणों को उचित कानूनी कार्रवाई के साथ हटा दिया जायेगा (अनुलग्नक-1)।

प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की पांच प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक मामले में अपने स्तर से अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

आपका विश्वासी,

ह०/-

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

ज्ञापांक :

377

दिनांक : 28.02.2025

प्रतिलिपि:— वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा / वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल से अनुरोध है कि अतिक्रमित वनभूमि को यथाशीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।